



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127082

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 17613/2026

सुधांशु शाक्यआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: विनीत मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया। नोटिस की तामील होने के बावजूद सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0018/2026, अंतर्गत धारा 64(1), 351(2) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना दिनांक 28.01.2026 को लगभग 20.30 बजे घटित होना बताया गया है जबकि आक्षेपित एफआईआर काफी सोच-विचार और परामर्श के बाद दिनांक 16.02.2026 को दर्ज की गई है, अर्थात् 18 दिन के विलंब से, जिसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि पीड़िता पहले से ही विवाहित है और पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी आयु लगभग 18 वर्ष है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई। स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, पीड़िता की जन्म तिथि 05.06.2008 उल्लिखित है, जिसका अर्थ यह है कि कथित घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष 6 माह थी। विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि विवेचना के दौरान आवेदक के कब्जे या उसकी निशानदेही से कोई भी फोटो या अश्लील वीडियो बरामद नहीं हुआ है। वह आगे यह तर्क देते हैं कि बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों के अनुसार, पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। उन परिस्थितियों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है, जिनके कारण अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, न्यायालय के समक्ष निष्ठापूर्वक उपस्थित रहेगा। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 27.02.2026 से जेल में बंद है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
6. दोषसिद्धि की स्थिति में आरोप की प्रकृति और दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि पर विचार करते हुए, आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-सुधांशु शाक्य को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ उतनी ही धनराशि के दायिगदारी प्रतिभूतियों और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक वाद को शुरू करने, आरोप विरचित करने और सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां, यदि कोई हों, कड़ाई से केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित हैं और इन्हें मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई प्रभाव डालने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

अजीत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"